SKU शोध संचार

(INTERNATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)

Impact Factor SJIF 2025 – 5.306

अंक-4, खण्ड-3, अक्टूबर - दिसम्बर 2025 E-ISSN : 2584-2900

राष्ट्रमंडल में भारत की सहभागिता: अवसर, चुनौतिया और भविष्य

विजय कुमार

सह-प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

1926 में राष्ट्रमंडल का गठन बाल्फोर घोषणा द्वारा की गई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष किंग चार्ल्स द्वितीय थे इस समय चार्ल्स तृतीय (8 सितम्बर 2022) अपनी माँ एलिजावेथ द्वितीय की मृत्यु उपरांत राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके कुल 56 सदस्यों में से दो ऐसे सदस्य देश रवांडा और मोजांबिक है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे फिर भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें ऐसे संप्रभु राष्ट्र शामिल हैं। जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं तथा पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे। यह संगठन मुख्य रूप से लोकतंत्र, कानून का शासन, मानवाधिकार की रक्षा, सतत विकास पर्यावरण, आतंकवाद, निशस्त्रीकरण जैसे विषय पर काम करता है। भारत इस संगठन का अपने आजादी (15 अगस्त 1947) से ही सदस्य है।

बीज शब्द

राष्ट्रमंडल, सतत विकास, मानवाधिकार, आतंकवाद पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोकतंत्र, संप्रभुता, स्वतंत्रता।

प्रस्तावना

राष्ट्रमंडल में शामिल ऐसे देश जिनकी आंतरिक बाह्य नीतियों का संचालन एक समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुए राष्ट्र संप्रभु होते हुए ब्रिटिश सरकर के साथ बराबरी के संबंध भी शामिल कर लिए जो सभी राष्ट्रों के लिए सम्मान की बात है। भारत 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य के रूप में शासन संचार का कार्य करना आरंभ कर दिया और ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्राध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया यह एक

ऐतिहासिक घटना थी जब भारत ब्रिटिश सम्राट को मान्यता दिए बिना राष्ट्रमंडल से सदस्यता ली। राष्ट्रमंडल में शामिल देशों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति किसी प्रकार की वफादारी रखना आवश्यक नहीं है। यह विचार उन सभी राष्ट्रों के लिए है जो गुलामी की जंजीरो से अभी मुक्त हुऐ हैं। ऐसे राष्ट्रों के स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में राष्ट्रमंडल का यह कदम सराहनीय है।

उद्देश्य

1. भारत राष्ट्रमंडल देशों के मध्य सभी मतभेदों को दूर कर मजबूत संगठन निर्माण की अपेक्षा करता है।
2. भारत राष्ट्रमंडल के द्विपीय देशों की हर संभव आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल इत्यादि में सहयोग करके उन्हें सक्षम बनाने की कामना करता है।

शोध प्रविधि

इस अध्ययन में शोध हेतु प्राथमिक डेटा के स्थान पर विश्वसनीय द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। आवश्यक जानकारी सरकारी रिपोर्टो, शोधपत्रों तथा प्रामाणिक ऑनलाइन स्रोतों से संकलित की गई। चयनित डेटा को प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और समयावधि के आधार पर छाँटा गया। संकलित सूचनाओं का विश्लेषण वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया, जिससे प्रमुख रुझानों और संबंधों की पहचान संभव हुई। शोध में प्रयुक्त सभी स्रोतों का उचित संदर्भ दिया गया तथा डेटा की सीमाओं को भी ध्यान में रखा गया।

शोध विस्तार

एक ऐसा संगठन जिसे "राष्ट्रमंडल" कहते हैं जिस पर कोई निश्चित नियम व कानून लागू नहीं है और न ही किसी सदस्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है। यह स्वतंत्र संस्था है प्रारंभ में इसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के नाम से हुई थी। इसकी विकास यात्रा आरंभिक उतार चढ़ाव के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। 1887 में ब्रिटिश औपनिवेशिक वाले देशों के स्वतंत्र प्रतिनिधियों की

बैठक ब्रिटिश साम्राज्य के नाम हुई। कालांतर में 1926 में इसके नाम में बदलाव किया गया जिसे 1926 का इंपीरियल सम्मेलन नाम दिया गया। इस बैठक द्वारा सभी ब्रिटिश उपनिवेशों से मुक्त हुए राज्यों को स्वतंत्र और सम्मान के साथसाथ स्वनिर्णय के अधिकार की बात कही गई। यह भी कहा गया कि आप एक दूसरे के अधीन नहीं है परंतु क्राउन के प्रति वफादारी से जुड़े हैं। बेस्ट मिनिस्टर अधिनियम 1931 में इसके नाम में बदलाव किया गया जिसमें नया नाम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कर दिया गया।

स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र गणराज्य होने के साथ-साथ राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की इच्छा जाहिर की और इसमें ब्रिटिश शब्द का विरोध किया परिणामस्वरूप ब्रिटिश शब्द हटा दिया गया केवल राष्ट्रमंडल नाम दिया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश साम्राज्य के राजा या रानी द्वारा की जाती है। राष्ट्रमंडल भारत के सहयोगी की भूमिका में दिखाई देने लगा लेकिन दूसरे पक्ष में जम्मू कश्मीर को लेकर पक्षपात रहित व्यवहार कि भूमिका भी रहा। इस कारण भारतीयों में राष्ट्रमंडल के प्रति संदेह का भाव होना स्वाभाविक था। इस दोहरे व्यवहार के कारण सन् 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहना पड़ा यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है।

ऐसे व्यवहार के चलते लगभग दो दशकों तक ब्रिटेन के साथ भारत कि विरोध रहित दूरी बनी रही। 1993 में भारत और राष्ट्रमंडल के बीच विश्वास का बढ़ना आरंभ हुआ साथ ही राष्ट्रमंडल में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ गई। यह निर्णय हुआ कि प्रत्येक दो वर्षों में शासनाध्यक्षों का सम्मेलन (चोगम) होगा। सिंगापुर में 1971 में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्यों ने एक घोषणापत्र जारी कर राष्ट्रमंडल की गतिविधियों में सहयोगी और स्वैच्छिक प्रकृति को स्पष्ट किया। यह संगठन वैश्विक शांति में वृद्धि, नक्सलवाद का समापन, उपनिवेशिता के प्रभुत्व का विरोध जैसे कारकों के लिए कृतसंकल्पित है। जिम्बाम्बे (हरारे) 1991 में संपन्न हुई बैठक में सभी देशों के नेताओं के समक्ष मानवाधिकार और लोकतंत्र वाली घोषणा को पुनः दोहराया गया साथ ही सभी को प्रतिबद्ध किया गया। आस्ट्रेलिया (पर्थ) 2011 में राष्ट्रमंडल के सभी नेताओं को राष्ट्रमंडल के लिए एक चार्टर का मसौदा तैयार करने को कहा जो मानवाधिकार, लोकतंत्र, विचारधाराओं की अभिव्यक्ति, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,

स्वास्थ्य और शिक्षा, लैंगिक समानता और सतत विकास, जैसे मूल सिद्धांतों को शामिल किया गया था जिसे 2012 के अंत में स्वीकार कर लिया गया। ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में 20 वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन उद्घाटन 23 जुलाई 2014 को सफलता पूर्वक आयोजित किया गया।

राष्ट्रमंडल के संगठन को मजबूती देने के लिए ब्रिटेन ने भारी मात्रा में निजी व सरकारी निवेश किया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1973 के साथ जब ब्रिटेन शामिल हुआ तो सदस्य देशों के व्यापार विशेषाधिकार कम होने लगे। तभी राष्ट्रमंडल के सदस्यों ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौता किया जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के बीच आयात-निर्यात में वृद्धि हेतु आपसी सहमति बनी।

1996 में अफ्रीकी निवेश कोश की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य महाद्विपों में निवेश बढ़ाना था। राष्ट्रमंडल सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण शैक्षिक संबंध है। ब्रिटेन के शिक्षक सदस्य देशों की यात्रा करते हैं और कई राष्ट्रमंडल सदस्यों के छात्र ब्रिटेन में अध्ययन भी करते हैं। आपसी सांस्कृतिक संबंध, खेल प्रतियोगिता राष्ट्रमंडल का एक हिस्सा बन गया है। राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिताओं प्रत्येक चार साल में आयोजित की जाती है। राष्ट्रमंडल में शिखर सम्मेलनों का आयोजन भी होता है जो विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे-आतंकवाद, पर्यावरण, रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध, विकासशील देशों में निर्धनता उन्मूलन एवं लोकतंत्र को और मजबूती देने जैसे विषयों में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

भारत की बड़ी भूमिका (भारत से बड़ी अपेक्षाएं राष्ट्रमंडल)

प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दौरा लंदन(2018) में राष्ट्रमंडल सम्मेलन के साथ बहुपक्षीय सहयोग के साथ जुड़ा था। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों ने भारत को सक्षम और ताकतवर देश के रूप में मान्यता दी। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में लगभग 50% जीडीपी उसमें कुल जीडीपी में पहले भारत के लगभग 30% हिस्सेदारी है इसी कारण अन्य सदस्य देश भारत से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा करते हैं और एक बड़ा कारण यह है कि आज ब्रिटिश शक्ति का पराभाव हो रहा है अतः राष्ट्रमंडल समूह भारत के आगे आने और सक्रिय भूमिका निभाने की राह देख रहा है। ऐसी

उम्मीद है कि भारत की भागीदारी इस समूह को नई दिशा और मजबूत नेतृत्व दे सकता है। भारत के लिए राष्ट्रमंडल समूह जिसमें 53 देश शामिल हैं। राष्ट्रमंडल एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से भारत रणनीतिक रूप से अपने संबंधों को बेहतर कर सकता है। भारत इसी मंच द्वारा शिक्षा, सुरक्षा, मुक्त व्यापार, खेल, कौशल विकास जैसे विषयों में अपना स्पष्ट एजेंडा तय कर सकेगा। सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करने के उपरांत विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख सकेगा। राष्ट्रमंडल की बैठकों में भारत ने हमेशा इस बात पर ज़ोर दिया है कि धनी देशों द्वारा की जाने वाली छोटे द्वीपों और गरीब देशों के प्रति प्रतिबद्धता मौजूदा स्तर से आगे जानी चाहिये। राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल के छोटे द्वीपीय देशों को उनकी ज़रूरत के अनुरूप सहायता देने की घोषणा की जैसे-

1. भारत इन तटीय देशों और छोटे द्वीपीय देशों को गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमतावान बनाएगा।
2. न्यूयार्क के स्थायी मिशन के तौर पर भारत राष्ट्रमंडल देशों की छोटी-छोटी परियोजना में सहयोग करेगा।
3. राष्ट्रमंडल कोष में भारत ने तकनीकी मदद दोगुनी करने की घोषणा के साथ ही साथ इसे 20 लाख पौंड (18 करोड़ रुपए से अधिक) कर दिया है।
4. राष्ट्रमंडल देशों के 60 अंडर-16 क्रिकेटर्स को भारत ने प्रशिक्षण देने की बात कही। बीसीसीआई की मदद से इन 60 क्रिकेटर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारत राष्ट्रमंडल के द्विपीय देशों की शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार, विकास, शांति, सौहार्द जैसे मामलों पर सहयोग कि कामना करता है साथ ही भारत राष्ट्रमंडल देशों के साथ मिलकर "वसुधैव कुटुंबकम" की अपनी भावना के साथ निस्वार्थ सहयोग कर सदस्य देशों को एकजुट करने की भूमिका भी निभा रहा है।

वर्तमान में प्रमुख राष्ट्रमंडल देश

अमेरिकी देश - आतिगुया और बरमूडा, बहामास, बेलीज, कनाडा, डोमिनिया, ग्रेनेडा, गुयाना, जमैका, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो।

एशियाई देश- भारत, बांग्लादेश, ब्रूनेई, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्री लंका, मालदीप।

अफ्रीकी देश - बोलसवां, कैमरून, गांबिया, घाना, केन्या, मालवी, मॉरीशस, मोजांबिक, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, सेशेल्स, सियरा, लियोन, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, युगांडा, संयुक्त राष्ट्र, तंजानिया, जांबिया।

यूरोपीय देश - साइप्रस, माल्टा, यूनाइटेड किंगडम।

पेसिफिक देश- ऑस्ट्रेलिया, फ़िजी, किरिबात, नौरु, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन, इस्लैंडस, टोंगा, तुवालू, वानुअतु।

राष्ट्रमंडल सदस्यों का निलंबन

जब कोई सदस्य राष्ट्र संघ के चार्टर की अवज्ञा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है अब तक जिन राष्ट्रों की सदस्यता समाप्त हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं_

1. नाइजीरिया 11 नवंबर 1995 में कार्यवाही आरंभ हुई, मई 1999 में सदस्यता समाप्त कर दी गई।
2. पाकिस्तान में पहली बार 18 अक्टूबर 1999 में कार्यवाही की गई तथा 22 मई 2004 को सदस्यता समाप्त कर दी गई।

3. फिजी पहली बार 6 जून 2000 में कार्यवाही की गई जिसकी संपूर्ण प्रकिया के बाद 20 दिसंबर 2001 को सदस्यता समाप्त कर दी गई।
4. जिम्बाम्बे पहली बार 19 मार्च 2002 में कार्यवाही की गई और जिसपर साक्ष्यों के आधार पर इनकी सदस्यता दिसंबर 2003 को समाप्त कर दी गई।
5. फिजी को दूसरी बार 8 दिसंबर 2006 को सदस्यता समाप्त करने हेतु कार्यवाही की गई और 26 सितंबर 2014 को सदस्यता समाप्त कर दी गई।
6. पाकिस्तान को दूसरी बार 22 नवंबर 2007 की कार्यवाही के उपरांत 22 मई 2008 को सदस्यता का अंत कर दिया गया।

राष्ट्र संघ की मुख्य उपलब्धियां

1. राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद जैसे ताइवान और जापान के बीच में था परिणाम स्वरूप समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सफल रहा।
2. अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और समाधान के लिए जिम्मेदारी से प्रयास किया।

राष्ट्र संघ की प्रमुख असफलताएं

1. द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा।
2. कुछ प्रमुख सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया इस कारण संगठन की प्रभावशीलता में कमी आई।

3. यहां तक कुछ सदस्य राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ से बाहर निकलने पर फैसला किया परिणाम स्वरुप संगठन की शक्ति और क्षमता कमजोर पड़ गई।

निष्कर्ष

आजाद भारत ने 1947 के बाद शक्तिशाली गुटों से साथ अपने को अलग रखा लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने में अपना राष्ट्रीय हित माना क्योंकि राष्ट्रमंडल अपने सदस्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता बल्कि सामूहिक हित की बात करता है।

राष्ट्र संघ एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालाँकि, खेद इस बात का है कि संगठन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जिससे इसकी प्रासंगिकता में कमी आई लेकिन वर्तमान में राष्ट्रसंघ को अपने वजूद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

1. रानी, डॉ. शिक्षा: संयुक्त राष्ट्र एक परिचय 2020_21
2. परीक्षा मंथन:भारत और राष्ट्रमंडल2018_19
3. बसु:, डॉ. रूमकी संयुक्त राष्ट्र संघ ,सिद्धांत एवं व्यवहार
4. द टाइम्स ऑफ इंडिया _19अप्रैल 2018
5. W. David McIntyre: राष्ट्रमंडल के इतिहास, विकास और राजनीतिक संरचना का विस्तृत अध्ययन।
6. James Mayall: आधुनिक राष्ट्रमंडल की प्रकृति, नीतियाँ और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित।
7. Philip Murphy: राष्ट्रमंडल के वैश्विक प्रभाव, चुनौतियों और इसके बदलते स्वरूप का विश्लेषण।